243

बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग-1208-III-16

1. श्रीमती मतिया पत्नी स्व. श्री मंगल,
2. बद्री प्रसाद राठौर
3. शंकर राठौर
4. अशोक प्रसाद राठौर

   2 से 4 पुत्रगण स्व. श्री मगल राठौर
   समस्त निवासीगण सामतपुर वार्ड न. 1
   तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

—आवेदकगण

विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 18-4-16 को प्रस्तुत
18-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. गनेशिया बाई पिता खुस्सू राठौर सा. सेन्दुरी तहसील अनूपपुर
2. नरबदिया बाई पति बदलिया सा. क्योंटार तहसील जैतहरी
3. महेश
4. सुरेश
5. संतोष
6. ललिता—चारो पिता बदलिया सा. क्योंटारा तहसील जैतहरी
7. धुन्नू
8. अकालो
9. फागनू
10. लिल्ला
11. बोधी [illegible] पिता [illegible] माता [illegible] सा. क्योंटारा तह. जैतहरी
12. सुधरी पति भोला माता सुखमतिया निवासी ग्राम हर्री तहसील अनूपपुर
13. प्रीतम पिता पुरूषोत्तम माता सुखमतिया निवासी ग्राम क्योंटारा तहसील जैतहरी

—अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
8-4-2016

न्यायालय तहसीलदार, तहसील व जिला अनूपपुर द्वारा रा. प्रकरण क्रमांक 30/अ27/2015-16 में की जा रही विभाजन की कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 09/03/2016 एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्रा दिनांक 07/03/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहांके, तहसील न्यायालय के समक्ष लंबित विभाजन की कार्यवाही से संबंधित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1208-तीन/2016 जिला अनूपपुर मतिया विरूद्ध गनेशिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार तहसील व जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य	